कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बजाज आटो लि0, श्री आर0 एल0 जोशी, अधिवक्ता, 11, लालबाग, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**377 / 08**
प्रार्थी की ओर से	**श्री आर0 एल0 जोशी, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-377 / 08, दिनांक 10.10.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से व्यापारी द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

Whether Entry Tax is exigible at the time of purchase / stock Transfer received, within the Local Area vide Noti. No. 2757 Dt. 29 Dec. 2008 on two wheelers eg. Motor Scooters, Motor Scooter Combinations Etc.

2. फर्म की ओर से श्री आर0 एल0 जोशी, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि प्रवेश कर की उक्त प्रविष्टि देखने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत केवल 3 या 4 पहियों वाले मोटर वाहन एवं उनकी चेचिस आते हैं तथा उक्त के अतिरिक्त उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत 2 पहिया मोटर वाहन नहीं आते हैं। व्यापारी द्वारा यह बताया गया कि principle of " Ejusdem Generis " के अन्तर्गत उन्हीं वाहनों को सम्मिलित किया गया है जिनकी चेचिस होती है तथा ट्रैक्टर को स्पष्ट रूप से उक्त प्रविष्टि से बाहर किया गया है। दो पहिया मोटर वाहन में चेचिस नहीं होती है तथा वह उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

3. प्रवेश कर की नोटिफिकेशन संख्या-2757, दिनाक 29.9.08 द्वारा मोटर व्हीकल के सम्बन्ध में निम्न प्रविष्टि है :-

Commodities	Rate of Tax (%)	Notification No and date
Motor Vehicles of all kinds including chassis thereof but excluding Tractors	2	2757 dt. 29-09-08

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन द्वारा अपने पत्र संख्या-2698, दिनांक 18.11.08 व डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, लखनऊ के पत्रांक-225, दिनांक 7.11.08 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार मोटर व्हीकल अधिनियम के अन्तर्गत मोटर व्हीकल की परिभाषा में 2 पहिया वाहन भी आते हैं।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि प्रवेश कर की उपरोक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत ट्रैक्टर के अतिरिक्त सभी प्रकार के 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया मोटर वाहन आते हैं तथा उन पर तदनुसार उपरोक्तानुसार प्रवेश कर का दायित्व बनता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 1,फरवरी, 2010

ह0 /- 1.2.10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कमिश्नर वाणिज्य कर, धारा-59 अनुभाग, उ0प्र0 मुख्यालय

प्रमाणित प्रतिलिपि